



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2022 निर्णय दिनांक 23/05/22

आर.ए.एस.

बनाम हजारी रजरोल

विस्तृत विवरण पुरत पर अंकित है।

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

श्री. वि. लाला

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1.	नेगोडिया	2075-78	121	1164	0.37	752	0.54	6	1.73		
				1707	0.34	753	0.31				
				749	0.13	748	0.04				

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा इस काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/ अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक श्री **आवल्लास** को 1600/-रु/- की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 23/05/22 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प में मजमे आम सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द


दिनांक 23/05/22

क्रमांक / रीडर / 2022/

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द

क्र.सं.	पक्षकार का नाम				प्राथी / अर्थ
1	पद्मचन्द नि. वजरी खरोल	वि. नेगडिया	२५	०	नेगडिया
2	गोपी जिता लताव बलध	वि. —	—	—	—
3	चानी पति गोकुल बलध	वि. —	—	—	—
4	गिरधरी जिता वजरी खुर	वि. —	—	—	—
5	हरदेव जिता जगन् खुर	वि. —	—	—	—
6	भोजाराम जिता जगन् खुर	वि. —	—	—	—
7	प्रेमचन्द जिता गंगाराम खुर	वि. —	—	—	—
8	बालू जिता वजरी खुर	वि. —	—	—	—
9	खेमा जिता कालु खुर	वि. —	—	—	—
10	जोरामठा जिता तुलस खरोल	वि. —	—	—	—
11	वडी जिता तुलस खरोल	वि. —	—	—	—
12	शामचन्द जिता सुजमल खरोल	वि. —	—	—	—
13	सायरी पति गोरखी खरोल	वि. —	—	—	—
14	उगमा जिता जगन् खुर	वि. मेरठिया	—	—	—
15	पशु जिता जगन् खुर	वि. —	—	—	—
16	मेरु जिता नेरु खुर	वि. —	—	—	—
17	हरदेव जिता धाराम खुर	वि. नेगडिया	—	—	—
18	भूषा जिता भूषा खुर	वि. —	—	—	—
19	सौराम जिता भागु खुर	वि. नेगडिया	—	—	—
20	प्रीराम जिता भागु खुर	वि. —	—	—	—
21	ओमप्रसाद जिता वीरम बलध	—	—	—	—
22	गणेश जिता रामा बलध	वि. —	—	—	—
23	रतन बडी जिता वंशीलल खुर	वि. —	—	—	—
24	वहमीलदार आहीड				


 सहायक कमिश्नर (S.D.O.)
 आमीर वि.

25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36